International Journal of Arts & Education Research

''बाल श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्या का उद्‌बोधन''

मीनाक्षी*[1]

[1]**शोध छात्र, साँईनाथ विश्वविद्यालय, झारखण्ड।**

सारांश

बाल श्रम प्रतिषेद्य (निषेध) एवं विनियमन कानून, 1986 के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर, उस काम से है, जो 14 वर्ष व उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध कराया जाता है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग का हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। अतः जब तक बाल श्रम की इस सामाजिक समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक देश की प्रगति व विकास संभवन नहीं है। प्रस्तुत लेख में भारत में बाल श्रम की स्थिति, बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारणों-गरीबी व निरक्षरता, शिक्षा का रोजगारपरक ना होना, सस्ती दरों पर उपलब्धता इत्यादि बाल श्रम को रोकने के लिए किये गए प्रयासों-भारतीय संविधान में वर्णित बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेदों, इंडस परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, शैक्षिक प्रयासों इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है तथा मुख्य रूप से उन शैक्षिक सुझावों, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल श्रमिकों के लिए छात्रवृत्तियाँ, श्रमिक स्कूलों की अवधि बढ़ाकर 5 साल करना, बाल श्रमिकों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन, आवासीय विद्यालय व आश्रमों की स्थापना करना इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है, जो बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने व बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रस्तावना

कहावत है-''बालक, मनुष्य का जनक होता है।'' हमारे आज के बच्चे भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करेंगे। भविष्य के निर्माता इन बालकों की आज तो स्थिति है, उसे देखकर लज्जा से सिर झुक जाता है। आज तक न तो हम उन्हें पौष्टिक आहार देकर स्वस्थ व सुखी बना सके हैं और नही उचित शिक्षा देकर, उनके भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके हैं।

मानव जीवन में श्रम का महत्व प्रतिपादित होने पर भी वर्तमान समाज में हमें, ''बाल श्रम'' जैसी समस्या सुरसा के समान चहुँ ओर अपना मुँह फैलाए दृष्टिगोचर होती है। माता-पिता की आर्थिक विपन्नता बालकों से श्रम कराने के लिये मजबूर कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ''बाल श्रमिक'' वे हैं जो नियमित रूप से वयस्कों की तरह जीवन जी रहे हैं तथा कम मजदूरी पर ऐसी दशाओं में कार्य करते हैं जो

उनके मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक हैं। परिस्थितिवश उन्हें अपने परिवार से कभी-कभी दूर रहना पड़ता है तथा वे अपनी शिक्षा से वंचित रहते हैं।

प्रायः कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, किन्तु जब यही बच्चे 14 वर्ष से कम आयु में ही होटलों अथवा रेस्टोरेंटों में मेजों की गंदगी साफ करने, गंदे बर्तनों को धोने, कल-कारखानों के दूषित वायुमंडल में खतरनाक मशीनों पर काम करने अथवा मालिकों और संयोजकों की झिड़कियाँ सुनने को मजबूर हो जाएँ तब भला इन्हें देश का भविष्य कैसे कहा जा सकता है ? जिस आयु में बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन्हें स्कूल की बेंच पर बैठकर अपना पाठ याद करना चाहिए तथा एक आदर्श नागरिक बनने के लिए उचित सुसंस्कार ग्रहण करने चाहिए, उस आयु में ये बच्चे अपने परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीड़ी उद्योग, गलीचा उद्योग, माचिस व आतिशबाजी उद्योग, ईंट उद्योग, खनन व निर्माण कार्यों में अपना बचपन बेचते देखे जा सकते हैं।

कौन हैं बाल श्रमिक ?

बाल श्रम का प्रारंभ तब से माना जाता है जब से विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप नये उद्योगों की स्थापना होना प्रारंभ हुआ। पूंजीवादी वर्ग के द्वारा अपना मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों को भी अपने कल-कारखानों में मजदूरी पर रखना प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार श्रमिकों से नियोजकों को काफी लाभ प्राप्त होने लगा। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कल-कारखानों के मालिकों ने अपने यहाँ बाल श्रमिकों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया और तब से यह सिलसिला जारी है।

बाल श्रमिकों के मानक पर विश्व में मतैक्य नहीं है। **जेनेवा** (स्विट्जरलैंड) स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने बाल श्रम पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है-

''ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन में कुछ घंटे खेल और पढ़ाई से निकलकर खर्च के लिए काम करते हैं। वे बच्चे भी नहीं है जो पारिवारिक जमीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कार्यों में मदद करते हैं, बल्कि ये वे मासूम बच्चे हैं जो वयस्कों की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कल-कारखानों, घरों, ढाबों व अन्य स्थलों पर कठोर श्रम करते हुए ये बच्चे शिक्षा, खेल-कूद, मनोरंजन यहाँ तक कि स्वस्थ जीवन से भी वंचित हो जाते हैं।''

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष तक के श्रमिक को बाल श्रमिक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक कहलाता है। अमरीकी संविधान 12 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक मानता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार जीविकोपार्जन अथवा पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है।

IJAER

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

भारत में बाल श्रम की स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आँकडों के अनुसार वर्तमान में विश्व में 10 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए श्रम करना पड़ता है और आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से 4 करोड़ 44 लाख सिर्फ भारत में हैं।

श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार औसतन भारत के हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक होता है। दूसरे शब्दों में 5 से 14 आयु वर्ग का हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भी विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित और बाल श्रमिकों की संख्या भारत में ही है। बाल श्रमिकों की यह संख्या विभिन्न आँकलनों के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

हमारे देश की कुल आबादी का 15.42 प्रतिशत बच्चे हैं और अन्य देशों की तरह भारत में भी बाल श्रम की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। यूनेस्को ने भारत को उन देशों में शामिल कर दिया है, जो सबको शिक्षा देने का लक्ष्य अभी नहीं कर पाये हैं। यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में भी सबके लिए शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल श्रम है। बाल श्रम से संबंधित अधिकाँश बच्चे ग्रामीण सूत्रों के हैं और उनमें भी लगभग 60 प्रतिशत 10 वर्ष से कम आयु के हैं। व्यापार एवं व्यावसायिक क्षेत्र में 23 प्रतिशत तथा घरेलू कार्यों में 37 प्रतिशत बाल श्रमिक कार्यरत हैं। जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों की स्थिति का प्रश्न है तो वहाँ इन बच्चों की संख्या अधिक है जो कैंटीन, रेस्टोरेंट और फेरी लगाने में संलग्न हैं। कुछ बच्चे तो खतरनाक उद्योगों में भी कार्यरत हैं जैसे-पत्थर खनन उद्योग (आंध्र प्रदेश) में लगभग 20 हजार, माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग (शिवकाशी, तमिलनाडु) में 50 हजार से 80 हजार, बीड़ी उद्योग (केरल और तमिलनाडु) में लगभग 7 हजार, ताला उद्योग (अलीगढ़) में 7 से 10 हजार, कालीन उद्योग में एक लाख 50 हजार, काँच उद्योग (फिरोजाबाद में 50 हजार व रत्न पालिश उद्योग (जयपुर) में लगभग 1 हजार बाल श्रमिक कार्यरत हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भार में सर्वाधिक बाल मजदूरी वाला राज्य उत्तर प्रदेश (19,27,997) है जबकि सबसे कम बाल मजदूरी वाला राज्य लक्षद्वीप है जहाँ पर बाल मजदूरों की संख्या 27 है। सर्वाधिक बाल मजदूरी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार व मध्य प्रदेश राज्य हैं।

बाल श्रम के कारण

गरीबी व निरक्षरता-श्रम व रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम की समस्या के लिए गरीबी व निरक्षरता मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तालिका 1 से स्पष्ट है कि भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां बाल श्रमिकों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 19,27,997 है, जिसकी साक्षरता दर 56.27 प्रतिशत है व गरीबी की दर 31.15 प्रतिशत जबकि सबसे कम बाल श्रमिकों वाला राज्य लक्षद्वीप है, जहाँ बाल श्रमिकों की संख्या मात्र 27 है तथा जिसकी साक्षरता दर 86.66 प्रतिशत व गरीबी की दर 15.60 प्रतिशत है। अतः कहना होगा कि बाल श्रम और निरक्षरता व गरीबी में चोली दामन क साथ होता है।

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

शिक्षा का रोजगारपरक न होना-शिक्षा का रोजगारपरक ना होना बाल श्रम का दूसरा बड़ा कारण है। जहाँ एक ओर शिक्षा का शुल्क दे पाना गरीब परिजनों के लिए उनके बूते से बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर ये परिजन यह भी सोचने लगते हैं कि जब पढ़ने-लिखने से रोजगार की कोई गारंटी नहीं है तो उसमें समय और पैसा बर्बाद करने के स्थान पर उनका बच्चा कोई काम-धंधा या हुनर सीख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा होने से कम-से-कम दो पैसे आने की गारंटी तो हो जाएगी। इसीलिए गरीब परिजन अपने नाबालिग बच्चों को या हुनर सीखने के लिए गैराज या दर्जी की दुकान में काम पर लगा देते हैं या फिर प्लेटें माँजने, होटलों, ढाबों या घरों में भेज देते हैं। कहा जा सकता है कि पेट (गरीबी), प्लेट (शिक्षा) और प्लेट (मजदूरी) में जंग चलती रहती है और इस जंग में बाल श्रम ही एकमात्र विकल्प के रूप में उभरता है।

तालिका 1

राज्य	**एन.एस.एस.ओ. (1999-2000) के अनुसार गरीबी की दर का प्रतिशत**	**2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का प्रतिशत**	**2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या**
उत्तर प्रदेश	31.15	56.27	19,27,997
आंध्र प्रदेश	15.7	60.47	13,63,339
राजस्थान	15.28	60.41	12,62,570
बिहार	42.60	47.00	11,17,500
मध्य प्रदेश	37.43	63.74	10,65,259
लक्षद्वीप	15.60	86.66	27

परंपरागत व्यवसाय-कुछ परिवारों की परंपरा भी होती है कि बच्चों को उनके परंपरागत शिल्प सिखाए जाएं। जैसे-जरी उद्योग, गलीचा उद्योग अथवा बीड़ी बनाने का काम आदि। परंपरा का निर्वाह करने के उद्देश्य से बिना कुछ सोचे इनमें घरों के छोटे-छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, जो प्रत्येक दृष्टि से इन बच्चों के लिए हानिकारक होता है।

सस्ती दरों पर उपलब्धता-उत्पादकों तथा नियोजकों को व्यस्क मजदूरों की तुलना में बाल श्रमिक अधिक सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। अतः जब कम मजदूरी पर बाल श्रमिकों से मनमाना काम लिया जा सकता है तो व्यस्क मजदूरों को ज्यादा मजदूरी पर काम पर रखने का प्रश्न की कहाँ उठता है। साथ ही बाल श्रमिकों द्वारा आंदोलन तथा हड़ताल की संभावना की नगण्य रहती है। अतः गरीब परिवार के वयस्क लोगों को काम नहीं मिलता तो मजबूरी में गरीब परिजनों को अपने बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करना पड़ता है ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके।

बड़ा परिवार-गरीब तबकों में निरक्षरता व परिवार नियोजन के प्रति अरुचि के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण अपने बच्चों को भी काम पर लगाना इन गरीब परिजनों की विवशता बन जाती है ताकि वे परिवार के लिए दो जून की रोटी का प्रबन्ध कर सकें। कुछ मामलों में पाया गया है कि गरीब परिवार की आय का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा इन बाल श्रमिकों पर ही निर्भर करता है।

पारिवारिक सामंजस्य का अभाव-गरीबी के कारण परिवारों में पारिवारिक सामंजस्य का अभाव रहता है। अतः ऐसे परिवारों के बच्चे इस माहौल से दूर रहने व अधिक सुखद भविष्य की तलाश में कभी-कभी घर छोड़कर

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

भाग जाते हैं और बाल श्रम में लग जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 15-20 बच्चे, ऐसे ही आते हैं।

श्रम को रोकने के लिए किये गये उपाय

अनुच्छेद 23-मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिशोध-इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है अपराध है।

अनुच्छेद 24-बालकों के नियोजन का प्रतिशोध-14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 39(ई)-इसके अनुसार राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे पुरुष व स्त्री मजदूरों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बच्चों की नाजुक उम्र का दुरूपयोग न हो।

अनुच्छेद 39 (एफ)-इसके अनुसार राज्य ऐसी सुविधाओं व अवसरों की व्यवस्था करेगा, जिससे बच्चे स्वतन्त्रता एवं सम्मान के साथ तथा स्वस्थ तरीके से विकसित हों तथा उनका बचपन एवं जवानी शोषण व नैतिक तथा भौतिक परित्याग से सुरक्षित हो।

बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक-6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए पारित 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 के पश्चात् पिछले दिनों अगस्त 2009 में संसद द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया। इस बिल में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं। इस विधेयक को भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की घोषणा की गयी है।

बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986-इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कई खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की संख्या 18 से 57 हो गयी है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987-बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 में घोषित की गयी। इस नीति के तहत कार्य योजना में निम्न बिन्दु शामिल हैं-कानूनी कार्यवाही करना, बच्चों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देना, बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना के आधार पर कार्य करना।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना-राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुपालन में 1988 में आरम्भ की गयी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) एक केन्द्रीय योजना है। इस योजना के तहत जिलाधीश/कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना समितियाँ बनायी जाती हैं, ताकि परियोजना का उचित कार्यान्वयन किया जा सके। परियोजना समिति की स्थापना इस योजना के संचालन की एक पूर्व शर्त है। जिला स्तर पर

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

स्थापित इन परियोजना समितियों को धन सीधे दिया जाता है। इस परियोजना के मुख्य प्रावधान हैं- विगत/वर्तमान बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना करना, विद्यालय में औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाना।

श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से चल रही इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में मात्र 12 जिले कवर किए गए थे। जिनकी संख्या नवीं पंचवर्षीय योजना में 100 व दसवीं पंचवर्षीय योजना में 250 कर दी गयी है। एन.सी.एल.पी. दसवीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित की गयी है। संशोधित योजना भारत सरकार के विभागों के अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिमुख होने पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त संशोधित योजना ने स्वास्थ्य जाँच, पोषण, आवश्यकताओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी सुदृढ़ किया है। इस परियोजना के द्वारा अब तक अनुमानतः 3.38 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

इंडस परियोजना-जोखिम भरे उद्योगों में लगे हुए बाल श्रमिकों का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए सन् 2004 में भारत सरकार एवं अमरीकी श्रम विभाग के संयुक्त सहयोग से 40 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 'इंडस' नाम की संयुक्त परियोजना देश के 21 जिलों में आरम्भ की गयी है। इस परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पाँच राज्यों के 21 जिलों में दस खतरनाक उद्योगों से बाल श्रम का उन्मूलन करने का है।

अनुदान योजना-अनुदान योजना के तहत श्रम मंत्रालय 88 स्वैच्छिक और सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे उन जिलों में बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करने वाली परियोजनाओं को लागू कर सकें जो एन.सी.एल.पी. तथा इंडस परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आई.एल.ओ. के सहयोग से दो योजनाएँ:-बाल श्रम समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा बाल श्रम कार्य व सहयोग योजना चलायी गयी है।

श्रम मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग के सहयोग से राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान में सितम्बर, 1990 में बाल श्रमिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए बाल न्याय (बच्चों की सुरक्षा व देखभाल) अधिनियम 2000 बनाया गया है।

राष्ट्रीय चार्टर-2003 (बच्चों के प्रति) भी संविधान के अंतर्गत पहले से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है।

बाल अधिकारों से संबंधित समझौता-भारत ने बच्चों के प्रति अपनी वचनबद्धता के तहत 11 दिसम्बर 1992 को बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन कर दिया। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में जीने व पलने का अधिकार प्रदान करना है। भारत ने बाल अधिकार संधि

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

की दो वैकल्पिक विज्ञप्तियों पर सितम्बर 2004 में हस्ताक्षर किये हैं। इसमें प्रथम सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की संलिप्तता तथा द्वितीय बच्चों की खरीद-फरोख्त, वैश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य पर है।

➢ बाल श्रम को रोकने हेतु राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया सराहनीय प्रयास है।

➢ **संकटग्रस्त, बेसहारा, लावारिस बच्चों की सहायता हेतु चाइल्ड लाइन की स्थापना-**

एक विशेष निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1098 पर आधारित चौबीस घंटे कार्यरत चाइल्ड लाइन वर्तमान में देश के 73 शहरों में कार्यरत है। इसका उद्देश्य 0-18 वर्ष तक के संकटग्रस्त, बेसहारा, लावारिस बच्चों की तत्काल सहायता के अतिरिक्त बच्चों की समाज में पुर्नस्थापना व पुनर्वास के प्रयास करना भी है। चाइल्ड लाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा कल्याण व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहभागी प्रयास से कार्यरत है।

चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एवं प्रोटेक्शन-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की यह योजना है कि विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो घरों में, ढाबों व मोटर गैराजों में कार्यरत हैं। योजना के तहत मुख्य धारा से जोड़ने वाली शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, चिकित्सकीय सहायता, भोजन आदि का प्रावधान है।

श्रम मंत्रालय ने हाल की में एक अधिसूचना बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनिमय) अधिनियम 1986 के तहत जारी की है, जो 10 अक्टूबर 2006 से लागू की गयी है। इस अधिसूचना द्वारा बच्चों को घरेलू नौकर अथवा ढाबों, रेस्टोरेन्टों, होटलों, चाय की दुकानों, रिसोर्ट्स, स्पा केन्द्र अथवा अन्य मनोरंजन केन्द्रों में काम पर रखना प्रतिबन्धित है।

➢ **बाल श्रम को रोकने एवं बाल श्रमिकों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सुझाव**

➢ हमारे देश में प्रदान की जाने वाली शिक्षा रोजगारपरक नहीं है। अतः शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की गारन्टी ना होने के कारण गरीब परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर किसी हुनर या काम धंधे को सिखाने के उद्देश्य से उन्हें या तो किसी कारखाने में भेज देते हैं या दर्जी की दुकान में काम पर लगा लेते हैं। आज बाल श्रम उन्मूलन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि बालकों को प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा के साथ-साथ किसी व्यवसाय की शिक्षा भी प्रदान की जाये। ऐसा होने पर जहां एक ओर बच्चे उसे सीख कर भविष्य में अपनी जीविका का साधन बना सकेंगे वहीं दूसरी ओर उनके अभिभावकों की शंका का भी समाधान हो जायेगा और वे आश्वस्त हो जायेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने पर रोजगार की गारन्टी है।

➢ बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 3 वर्षों तक चलने वाले बाल श्रमिक स्कूलों में सरकारी स्कूलों के प्राइमरी स्तर की किताबें ही चलती हैं। इन स्कूलों में 3 वर्ष के भीतर बच्चों की पांचवी तक की पढ़ाई करवाकर उन्हें सरकारी स्कूलों में नामांकित किया जाता है जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन 6 घंटे

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

की पढ़ाई के बाद भी बच्चा सही ढंग से सीख नहीं पाता है वहीं इन श्रमिक स्कूलों में बच्चा मात्र 3 वर्षों में पांचवीं तक की पढ़ाई कैसे पूरी कर सकेगा। अतः श्रमिक स्कूलों की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 5 वर्ष की कर दी जानी चाहिए।

➢ बाल श्रमिकों के लिए चल रहे बाल श्रमिक स्कूलों की वास्तविक स्थिति यह है कि जिन क्षेत्रों को इन स्कूलों के लिए नामांकित किया गया था उन क्षेत्रों में बाल श्रमिक स्कूल नाम के बोर्ड तो लग गये हैं परन्तु इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने शायद ही कोई बाल श्रमिक आता हो। जब कभी इन स्कूलों के निरीक्षण के लिए राज्य स्तर पर कोई टीम आती है तो स्कूल के संचालक इधर-उधर से बच्चों को खाने का लालच देकर स्कूलों में बैठा देते हैं। अतः इन बाल श्रमिकों पर निगरानी रखने हेतु क्षेत्र विशेष के लिए पृथक क्षेत्र समितियों का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षित, जागरूक व ईमानदार युवक व युवतियों को इन क्षेत्रिय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। जिनके द्वारा प्रत्येक माह इन स्कूलों की वास्तविक रिपोर्ट प्रेषित की जानी चाहिए।

➢ संविधान के 86वें संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था इसी अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम **''द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट''** अगस्त 2009 को पारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इसी तरह के चाहे कितने भी अधिनियम क्यों न बना लिये जाये लेकिन बाल श्रम की समस्या का उन्मूलन करके बाल श्रमिकों की शिक्षा की मुख्य धारा से तब तक नहीं जोड़ा जा सकता है कि जब तक की बाल श्रमिकों की मूलभूत समस्या गरीबी जो कि धन सम्बन्धी है का समाधान न किया जाये। अतः निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ केन्द्रीय व राज्य स्तर पर बाल श्रमिकों के लिए कुछ छात्रवृत्तियों व अनुदान राशि प्रदान करने वाली योजनाओं को सहायतार्थ शुरू किया जाना चाहिए ताकि धन के अभाव में बाल श्रमिक शिक्षा से वंचित न रह सकें।

➢ चाहे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का मैस हो या जे.एन.यू. दिल्ली का कैंटीन या फिर के.जी. एम.सी. लखनऊ का मैस या कैन्टीन हर जगह एक ही समानता देखने को मिलती है और वह समानता है वहां पर काम कर रहे बाल श्रमिकों की। इतने उच्च शिक्षण संस्थानों में जब यह हालात हैं तब ढाबों, होटलों, रेस्टोरेन्टों में काम करने वाल बाल श्रमिकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इतने उच्च शिक्षित हो जाने के बावजूद इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी व पढ़ाने वाले अध्यापकगण इन सबसे अनभिज्ञ बने रहते हैं व इसे नज़रअंदाज़ करते हैं। अतः शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा इसका खुलकर विरोध किया जाना चाहिए तथा उनके द्वारा बाल श्रमिकों को काम से हटवाकर इन्हें स्कूल भेजने के लिए अपने स्तर पर समुचित प्रयास किये जाने चाहिए।

➢ प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम में ऐसे अध्यायों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्रों को यह समझा सके कि बाल श्रम एक दण्डनीय अपराध है ताकि बड़े होकर ये छात्र भविष्य में देश के सजग नागरिक बन सकें व इस जघन्य अपराध को रोकने में सहायता कर सकें।

➢ शैक्षिक रेडियों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न बाल श्रम विरोधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए।

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

- विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करने हेतु जिस तरह शैक्षिक दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन का प्रसारण किया जाता है ठीक उसी तरह शैक्षिक दूरदर्शन पर बाल श्रम को रोकने में सहायक व बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए।
- बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रसार के लिए गांवों में भी समितियों का गठन करके उन्हें बाल श्रमिकों की शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप देना चाहिए।
- बाल श्रमिकों के लिए भी अलग से आवासीय शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए इन शिविरों में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार में कम से कम एक सदस्य को नियमित तथा सत्त् रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि मजबूरीवश उन्हें अपने बच्चों को परिवार के भरण-पोषण के लिए विभिन्न जोखिमपूर्ण उद्योगों में काम पर ना लगाना पड़े।
- बाल श्रमिकों के काम करने में जो भी सम्मिलित है, अभिभावक या नौकरीदाता उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।
- जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को कल-कारखानों या होटलों या रेस्टोरेन्टों के काम से हटाकर स्कूलों में भेजना प्रारम्भ किया है। उन अभिभावकों सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें।

संदर्भ

शर्मा, उषा 2006, चाइल्ड केयर इन इंडिया, मित्तल पब्लिकेसंस, नई दिल्ली।

शर्मा, ए.के. 2007. चाइल्ड लेबर, अनमोल पब्लिकेसंस प्रा.लि., नई दिल्ली।

श्रीवास्तव, अर्चना 2008. 'मानवता के नाम पर कलंक', योजना, 52(5): 21-23।

ओझा, एन.एन. (संपादक) 2005, भारत की सामाजिक समस्याएँ, क्रॉनिकल पब्लिकेसंस प्रा.लि., नई दिल्ली।

कुमार, संदीप 2007, 'बाल श्रम : एक कलंक', कुरुक्षेत्र, 54(1): 14-15।

प्रकाश, एस. ओम 1983, मशाल : केस हिस्ट्री ऑफ ब्रॉंडेड लेबर गर्ल्स, भीम पब्लिकेसंस, जालंधर।

पाण्डेय, राजेन्द्र 1994, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी इण्डिया, आशीष पब्लिकेसंस, नई दिल्ली।

भारत सरकार 2009, वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ-भारत, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

सिंह, डॉ0 उद्यभान (संपादक) 2009-10. भारत 2009 समसामयिकी (संक्षिप्त विवरण), श्री बिहारी जी पब्लिकेशन, कानपुर।

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.